न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :– 675/2013

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यादराम पुत्र चरनसिंह जाति गूजर निवासी ग्राम नौगावां तह0 नगर

––वादी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मूडिया पंचायत समिति नगर
2. सचिव ग्राम पंचायत मूडिया पंचायत समिति नगर
3. भिक्कन पुत्र फतेहराम
4. रामधन
5. रामकिशन
6. हेतराम
7. घनश्याम उर्फ धर्मपाल
8. रघुवीर

पिस0 हरलाल जाति गूजर निवासी ग्राम नौंगावां तह0 नगर

––असल प्रति0

9. राजेन्द्र
10. सुकराम

पिस0 चरनसिंह जाति गूजर निवासी ग्राम नौगावां तह0 नगर

––तरतीवी प्रति0

11. तहसीलदार साहब तहसील नगर

––फोरमल प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री ओमहरि, अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक .....

वादी ने यह दावा इस आश्य का संस्थित किया है कि वि0आ0ख0नं0 50/0.35 बाके ग्राम नौगावां तह0 नगर साविक ख0नं0 66मिन रकबा 5 बीघा 16 विस्वा से बना है जो पारिवारिक बंटवारे में वादी एवं प्रति0 9 व 10 के पिता चरनसिंह के हिस्से में आई है । साविक ख0नं0 55 रकबा 5 बीघा 16 विस्वा वादी के बुजुर्ग गंगा प्रसाद व भगवत की खुदकाश्त की आराजी थी ।

विवादित ख0नं0 66मिन को तहसीलदार नगर ने बिना वादी के बुजुर्गों को सुने व नोटिस दिये आराजी को सिवायचक दर्ज करते हुए ग्राम पंचायत मूडिया के नाम एलोट कर दिया जबकि इस आराजी पर वादी एवं प्रति0 3 लगा0 10 के बुजुर्ग व काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस आराजी पर ग्राम पंचायत मूंडिया का बाद एलौटमेण्ट से आज तक कोई कब्जा किसी प्रकार का ना तो कभी रहा है और ना ही अब है । विवादित साविक ख0नं0 66 का 1/2 हिस्सा का भगवत हिस्सेदार था उसके वारिसान ने इस आराजी को सं0 2033 में ग्राम पंचायत मूंडिया से अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा लिया था सिर्फ वादी के बुर्जुग गंगा प्रसाद का हिस्सा ही गलत रूप से ग्राम पंचायत मूंडिया के नाम राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है जिससे वादी को ससख्त हकतलफी है जिसे वादी एवं तरतीवी प्रति0 राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं तथा प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री किया जावे । आ0ख0नं0 50/0.35 बाके ग्राम नौगावां पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिए सम्मन तलब किया गया । प्रति0 संख्या 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ने राजीनामा प्रस्तुत किया जो दिनांक 30.10.2014 में प्रमाणित किया गया । प्रति0 संख्या 5 ने दिनांक 19.01.2017 को राजीनामा प्रस्तुत किया । प्रति0 संख्या 1, 2, 11 के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर दिनांक 07.04.2017 को एकतरफा कार्यवाही की गई ।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी हाल प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2012–2015 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2024 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी ढालबांछ सं0 2023 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सं0 2024 प्रदर्श–6, नकल खसरा पत्रक भू प्रबंध विभाग प्रदर्श–7, नकल नामां0 संख्या 83 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सं0 2016 प्रदर्श–9, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2033–36 प्रदर्श–10, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2017–20 प्रदर्श–11, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2009–12, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2021–24 प्रदर्श–13, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2013–16 प्रदर्श–14, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2046–49 प्रदर्श–15, नकल जमाबंदी प्रदर्श–16, नकल फैंसला एस0डी0ओ0 डीग दिनांक 18.06.1973 प्रदर्श–17, नकल डिक्री दिनांक 18.06.1973 प्रदर्श–18 दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में वादी यादराम पीडब्ल्यू–1, अतरसिंह पीडब्ल्यू–2, हुकम पीडब्ल्यू–3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं ।

हमने वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । नकल जमाबंदी प्रदर्श–2 के खाता संख्या 71 पर आ0ख0नं0 50/0.35 ''ग्राम पंचायत मूडिया के नाम खातेदारी हक से दर्ज है । नकल खसरा पत्रक भू–प्रबंध विभाग प्रदर्श–7 के अनुसार हाल ख0नं0 50/0.35 साविक ख0नं0 66मिन से बनाया जाना साबित है तथा कॉलम नम्बर 23, 24 नाम कृषक गत व हाल में ग्राम पंचायत मूंडिया का नाम दर्ज है । नकल नामां0 संख्या 83 ग्राम नौगावां प्रदर्श–8 के अनुसार सिवायचक बंजड साविक ख0नं0 66 रकबा 5 बीघा 16 विस्वा ग्राम पंचायत मूंडिया को आवंटित होना साबित होता है । नकल जमाबंदी संख्या 2016 प्रदर्श–9 के खाता संख्या 1 के साबिक ख0नं0 66 रकबा 5 बीघा 16 विस्वा सिवायचक रिजर्व चारागाह दर्ज है । इस प्रकार उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख के विवेचन से विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग की सिवायचक भूमि रही है जो वर्तमान में भी ग्राम पंचायत मूंडिया के नाम दर्ज रिकार्ड है जिस पर वादी खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी नही है । वादी अपने दावा को साबित करने में असफल रहा है, जिससे दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य नही है । अतः आदेश है कि –

दावा वादी खारिज किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक ..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर